सामान्य अधिकार पत्र

स्टाम्प 15/रुपयें

किताब 2

स्टाम्प क्रमांक दिनांक

कैफियत,

यह कि लेख लिख देने वाले आराजी जरई वाका----------तहसील जिला----------व जायदाद सकनी वाका----------तहसील जिला----------का मालिक व काबिज है जिसकी बाबत इन्तकालात व इन्तजामात करने मे असमर्थ है क्योकि वे बाहर रहते है इस लिये इन्तकालात व इन्तजामात करने मे असमर्थ है। इस लिये वह अपनी तरफ से लेख लिखा लेने वाले को अपना सामान्य अधिकार (मुखत्यार आम) नियुक्त करते है। उसको निम्न लिखत कार्यो को करने हेतु अधिकार प्रदान किये जाते है। वह उक्त लेख लिखा देने की तरफ से कार्य अपनी उपस्थिति व अपने हस्ताक्षरो से सम्पादित कर सकेगा । लेख लिख देने वाले की सम्पत्ति पर जो भी हक, हिस्सा व अधिकार है को लेख मे सम्पत्ति संबोधित किया जा रहा है।

1-उक्त सम्पत्ति की देख रेख व व्यवस्था करना, उक्त पर आरोपित कर की अदायेगी करना किसी प्रकार की आपत्ति होने पर उक्त का प्रतिनिधित्व व पैरवी करना ।

2-उक्त सम्पत्ति या उसके किसी हिस्से को किराये पर या अन्य रुप से किसी को प्रदान करना,कब्जा वापस प्राप्त करना व इस सम्बन्ध मे समस्त कार्य सम्पादित करना ।

3-उक्त सम्पत्ति या उनके हिस्से को बिक्री करने - बन्धक रखे जाने, पटटा पर देने, तकसीम कराने, दान देने की कार्यवाही करना, प्रतिफल प्राप्त करना व रसीद प्रदान करना, आवश्यक दस्तावेज का निष्पादन करना व पंजीयन कार्यालय मे पंजीयन कराना, अधिपत्य प्रदान करना व राजस्व अभिलेखो मे दुरुस्ती के सम्बन्ध मे केता को सहयोग प्रदान करना ।

4-उक्त सम्पति या उसके हिस्से को केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकार, अधीनस्थ विभाग, अर्द्धशासकीय संस्था, निर्गमित निकाय या अन्य द्धारा अधिग्रहित किये जाने पर आवश्यक दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करना,मुआवजा की राशि प्राप्त करना, मुआवजा निर्धारण पर आपत्ति होने की स्थिति मे उक्त के समुचित निर्धारण हेतू समस्त वैधानिक कार्यवाही व पैरवी करना ।

5-उक्त सम्पति से प्राप्त होने वाली धनराशि के सम्बन्ध मे किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक मे खाता खोलना, उक्त का संचालन करना व अपने हस्ताक्षर से चेक या आहरणपत्र द्वारा रकम आहरण करना ।

6-उक्त सम्पति के सम्बन्ध मे विवाद उत्पन्न होने की स्थिति मे आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करना, भारत के समस्त न्यायालयो व कार्यालर्यो मे प्रतिनिधित्व व पैरवी करना, राजीनामा करना प्रकरण वापस प्राप्त करना, व इस सम्बन्ध मे समस्त कार्य करना ।

7-उक्त सम्पति या उसके हिस्से पर नियमानुसार कार्यवाही का निर्माण कार्य कराना, बिजली, दुरभाष कनैक्शन प्राप्त करना, आवेदन पत्र प्रस्तुत करना, अनुबन्ध निप्पादित करना, सुरक्षा धन जमा करना, वापसी योग्य धन वापस प्राप्त करना व आवश्यक कार्य करना । किसी स्टाम्प की खरीद करना तथा रिफन्ड कराना, चेक, डाफट, रिफन्ड वाउचर वगैरा प्राप्त करके उनका रुपया किसी बैंक या खजाना सरकार से हर प्रकार से प्राप्त करना तथा जो भी आवश्यक कार्यवाही करनी जरुरी हो सब अमल मे लाना ।

8-उक्त सम्पत्ति का विभाजन कराये जाने की स्थिति मे समस्त आवश्यक कार्यवाही करना ।

9-उक्त सम्पति के सम्बन्ध मे शासकीय, गैरशसकीय विभाग या अन्य से पत्र व्यवहार करना, पत्रों को प्रत्युत्तर देना । हमारे कागजात पर हर प्रकार से हस्ताक्षर करना तथा कार्यवाही हर प्रकार से करना ।

10-यह कि अधिकारो मे से किसी एक अधिक या समस्त को प्रदान करते हुये किसी अन्य के पक्ष मे अधिकार पत्र प्रदान करना ।

11-यह कि सरकार से एक्वायर शुदा आराजी की बाबत मुआनजा की राशि प्राप्त करे । अपीलात हर प्रकार से हर अदालत व न्यायालय वगैरा मे हर प्रकार से करे और बढे हुवे मुआवजा की राशि हर प्रकार से बजरिये चैक,डाफट व रिफन्ड वाउचर वगैरा की मारफत हर प्रकार से प्राप्त करे । रसीदात हर प्रकार से देवे । लेख लिखने वाले के नाम पर कोई सम्पति भारत के किसी भी इलाके मे खरीद करे या उसको हर प्रकार से रहन - बैय - हिबा व दीगर तरीक पर मुन्तकिल करे और उसका प्रतिफल किसी भी प्रकार से प्राप्त करके रसीदात हर प्रकार देवे ।

यह कि सामान्य अधिकार पत्र मे कोई अन्य अधिकारात देने से रह गये हो तो वे अधिकारात भी मेरे मुखत्यार आम उक्त को हांसिल होगे । वे सब हमारे जैसे किये हुवे होगे और मुझको हर प्रकार से स्वीकार होगे । मुखत्ययार आम हम सब की तरफ से एक एक की तरफ जैसी भी सूरत हो कार्यवाही कर सकता है ।

यह कि मुखत्यार आम द्धारा किया गया उक्त कार्य लेख लिख देने वाले की तरफ से किया गया समझा जावेगे । जिस हेतू वह पुर्ण रुप से जिम्मेदार व दायित्वाधीन रहेगा ।
अतः अपने स्वस्थचित मे यह मुखत्यार नामा आम (सामान्य अधिकार पत्र) का लेख लिख दिया है जिस पर बिना किसी दबाव के स्वेच्छापूर्वक गवाहो के समक्ष
दिनांक----------को स्थान----------के अपने हस्ताक्षर कर दिये कि प्रमाण रहे ।

साक्षी (1) निष्पादन कर्ता

साक्षी (2) जिसके हक में निष्पादित किया